अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरूस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

क्रमांकः ARUSMA/प्रदेश/राज./2025/ 201–204 दिनांकः– 31.10.2025

माननीय मुख्यमंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।

श्रीमान् आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

विषयः– कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों हेतु कार्यालयी कार्यप्रणाली में दक्षता एवं कार्यक्षमता वृद्धि हेतु कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किए जाने हेतु अनुरोध।

संदर्भः– आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक– CCE/ISDC/Training Programmes-22483-7976659 राजकाज रेफरेंस नम्बर– 18568383 दिनांक– 30.10.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक– 07.11.2025 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 'मंत्रालयिक दक्षता विकास कार्यक्रम– 2025' बोध शिक्षा परिसर, कूकस औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में केवल जयपुर जिला क्षेत्र के महाविद्यालय एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के कर्मचारियों को ही नामित किया गया है। कॉलेज शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारी सम्पूर्ण प्रदेश के विभिन्न जिलों में महाविद्यालयों एवं क्षेत्रीय सहायक निदेशक कार्यालयों में भी कार्यरत है।

इसी क्रम में सम्पूर्ण प्रदेश में **कॉलेज शिक्षा विभाग में सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की** कार्यालयी कार्यप्रणाली में दक्षता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि, **कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली, दक्ष एवं नवाचारयुक्त बनाने हेतु विभागीय स्तर पर विशेष कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है।**

वर्तमान समय में कार्यालयी कार्यों में तकनीकी दक्षता, डिजिटल संसाधनों का प्रयोग, ई–फाइल प्रबंधन, ई–गवर्नेंस, समय प्रबंधन एवं संचार कौशल जैसे विषयों में निरंतर अद्यतन ज्ञान की महती आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि विभाग द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए एक संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए, तो इससे न केवल विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी मानव संसाधन की कार्यक्षमता में अभिवृद्धि होगी, अपितु विभागीय कार्यों में गुणवत्ता एवं गति में सुधार होने के साथ ही दक्षता में भी महत्वपूर्ण अभिवृद्धि होगी।

1. **तकनीकी दक्षता संवर्द्धन कार्यक्रमों का अभावः–**
   वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राज्य में **सुशासन के सिद्धांत** को लागू करने के उद्देश्यों की शीघ्रातीशीघ्र प्राप्ति के लिए **ई–गवर्नेंस** की कार्यप्रणाली को अपनाया गया है। इसी क्रम में विभागों में विभिन्न तकनीकी पोर्टल यथा– वेतन–भत्तों, एरियर, पेंशन, बजट प्रबंधन, उपार्जित अवकाश

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

नकदीकरण, आदि के भुगतान से संबंधित IFMS 3.0 पोर्टल पर दिए गए विभिन्न मॉडयूल, स्टोर लेखा से संबंधित IMS पोर्टल पर दिए गए विभिन्न मॉडयूल, RAJKAJ पोर्टल पर ई–फाइल प्रबंधन, ई–डाक प्रबंधन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, अचल संपत्ति विवरण, लोक उपापन प्रणाली एवं पोर्टल, GEM पोर्टल आदि विभिन्न डिजीटल ई–मॉडयूल के साथ ही कर प्रबंधन प्रणाली RITMS पोर्टल को भी लागू किया गया है। जो कि कॉलेज शिक्षा विभाग में सम्पूर्ण प्रदेश के महाविद्यालयों एवं कार्यालयों में भी समान रूप से लागू है तथा दैनिक कर्यालयी प्रक्रिया में भी अनवरत उपयोग होता है।

किंतु उक्त समस्त पोर्टल एवं मॉडयूल के संदर्भ में विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का तकनीकी दक्षता अभिवृद्धि किए जाने के संबंध में कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया है।

2. **RSR की दैनिक कार्यालयी प्रक्रिया में उपयोगिताः–**
राजस्थान सेवा नियम की दैनिक कार्यालय प्रकरणों में उपयोगिता के क्रम में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं नियमों के संदर्भ में भी मूलभूत जानकारी के लिए कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है ताकि कार्यालय स्तर पर कई बार होने वाली मानवीय भूलवश त्रुटियों के संबंध में आवश्यक समझ विकसित हो सकें।

3. **GF&AR की दैनिक कार्यालयी प्रक्रिया में उपयोगिताः–**
सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की दैनिक कार्यालय प्रकरणों में उपयोगिता के क्रम में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं नियमों के संदर्भ में भी मूलभूत जानकारी के लिए कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है ताकि कार्यालय स्तर पर अनेक बार होने वाली मानवीय भूलवश त्रुटियों के संबंध में आवश्यक समझ विकसित हो सकें।

4. **दस्तावेज प्रबंधन एवं पत्रावलियों के संचालनः–**
पत्रावलियों के सुव्यवस्थित संचालन, कार्यालय टिप्पणी संचालन, अभिलेख संधारण एवं अभिलेख प्रबंधन में एकरूपता एवं दक्षता लाने हेतु प्रशिक्षण आवश्यक है।

5. **समय प्रबंधन एवं कार्य प्राथमिकता निर्धारणः–**
कार्यलयी कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों को समय प्रबंधन, कार्य विभाजन एवं प्राथमिकता निर्धारण के सिद्धांतों के संबंध में प्रशिक्षण आवश्यक है।

6. **नवाचार एवं प्रेरणाः–**
कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को नवीनतम प्रशासनिक सुधारों, नवाचारों एवं प्रेरणादायक उदाहरणों से अवगत कराया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्साह एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो।

7. **मानव संसाधन विकास की दिशा में सकारात्मक पहलः–**
यह कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों की व्यक्तिगत एवं विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा, जिससे विभाग की समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी।

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

8. **<u>महाविद्यालयों में नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यकः—</u>**
कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती— 2024 के द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग को आवंटित कुल 89 कनिष्ठ सहायकों में से लगभग 75 से भी अधिक कनिष्ठ सहायक सम्पूर्ण प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभाग के अधीन संचालित राजकीय महाविद्यालयों में भी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के राजकाज रेफरेंस क्रमांक— 18428236 दिनांक— 17.10.2025 के द्वारा पदस्थापित किए गए है। अतः ऐसे समस्त नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों के लिए प्रशिक्षण/कार्याशाला कार्यक्रम का आयोजन किया जाना अत्यावश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए <u>संदर्भित राजकाज रेफरेंस क्रमांक— 18568383 दिनांक— 30.10.2025 के द्वारा संचालित किए जा रहे 'मंत्रालयिक दक्षता विकास कार्यक्रम— 2025' का सम्पूर्ण प्रदेश में कालेज शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए विस्तार करते हुए विभागीय स्तर पर शीघ्र ही एक समग्र कार्यशाला/प्रशिक्षण सत्र की योजना बनाई जाकर अतिशीघ्र क्रियान्वित की जाए,</u> जिससे मंत्रालयिक कर्मचारियों को अद्यतन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सकें। इस नवाचार से न केवल विभागीय कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, अपितु विभाग की समग्र उत्पादकता में भी अभिवृद्धि होगी, जो कि **राज्य सरकार के <u>'ई—गवर्नेंस'</u>** एवं **केन्द्र सरकार के <u>'डिजीटल इंडिया अभियान'</u>** से जुडाव को बढावा देने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। साथ ही **'एकरूपता एवं समानता के सिद्धांत' की क्रियान्विति संभव हो सकेगी।**

संघ को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हैं कि आप राज्य हित एवं कर्मचारी हित में कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान में कार्यरत समस्त मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए दक्षता संवर्द्धन कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करेंगे जिससे कि विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों को विभागीय कार्यप्रणाली के संबंध तकनीकी दक्षता एवं कार्यकुशलता में अभिवृद्धि के समुचित समान अवसर प्राप्त हो सकें।

आपकी सकारात्मक कार्रवाई की प्रतीक्षा में।

दिनांकः— 31—10—2025

भवदीय

प्रकाश चन्द्र शर्मा

प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj1@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

पत्रांक : CCE/ISDC/Training Programmes-22483-7976659

प्राचार्य (संलग्न सूचीनुसार)
राजकीय महाविद्यालय।

विषय :– आयुक्तालय एवं जयपुर जिले के राजकीय महाविद्यालयों में पदस्थापित मंत्रालयिक कार्मिकों की कार्यक्षमता, दक्षता संवर्द्धन, कार्यालयी कार्यों के सुव्यवस्थित प्रक्रिया, दायित्वों की स्पष्टता, व्यावहारिक तकनीकी दक्षता तथा राजकाज से संबंधित कार्यों में निपुणता हेतु एक दिवसीय **"मंत्रालयिक दक्षता विकास कार्यक्रम–2025"** प्रशिक्षण आयोजन बाबत्।

उपर्युक्त संदर्भ में लेख है कि आयुक्तालय एवं जयपुर जिले के राजकीय महाविद्यालयों में पदस्थापित मंत्रालयिक कार्मिकों की कार्यक्षमता, दक्षता संवर्द्धन, कार्यालयी कार्यों के सुव्यवस्थित प्रक्रिया, दायित्वों की स्पष्टता, व्यावहारिक तकनीकी दक्षता तथा राजकाज से संबंधित कार्यों में निपुणता हेतु एक समग्र प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उनकी राजकार्य की कार्यशैली में अभिवृद्धि हो। इस हेतु मंत्रालयिक कार्मिकों के लिये आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा आयुक्तालय एवं बोध शिक्षा समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में **दिनांक 07 नवम्बर 2025 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम " मंत्रालयिक दक्षता विकास कार्यक्रम–2025" आयोजित करवाया जा रहा है।** इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संलग्न सूचीनुसार मंत्रालयिक कार्मिकों को नामित कर निर्देशित किया जाता है कि **सभी नामित मंत्रालयिक कार्मिकों दिनांक 07 नवम्बर 2025 को प्रातः 09.00 बजे बोध शिक्षा परिसर, कूकस औधोगिक क्षेत्र जयपुर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।**

प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मंत्रालयिक कार्मिकों की सूची

क्र. सं.	आयुक्तालय/राजकीय महाविद्यालय का नाम	प्रशिक्षणार्थी का नाम
1.	आयुक्तालय, प्रशासन	महेश मीणा
2.	आयुक्तालय, प्रशासन	महेश कुमार
3.	आयुक्तालय, एचआरडी	विजय भोमिक
4.	आयुक्तालय, एचआरडी	कुलदीप सिंह नाथावत
5.	आयुक्तालय, एचआरडी	हीरालाल जलुथरिया
6.	आयुक्तालय, एचआरडी	महेन्द्र मीणा
7.	आयुक्तालय, एचआरडी	पूजा मीना
8.	आयुक्तालय, एचआरडी	गोविन्द सिंह
9.	आयुक्तालय, लेखा शाखा	सुशीला बुरडक
10.	आयुक्तालय, आरवीआरईएस	विनीता शर्मा
11.	आयुक्तालय, राजसेस	विकाश स्वामी
12.	आयुक्तालय, अकादमिक	नमो नारायण मीणा
13.	आयुक्तालय, अकादमिक	निकिता कुमारी
14.	आयुक्तालय, छात्रवृत्ति	नेहा फौजदार
15.	आयुक्तालय, रिसिप्ट–डिस्पेच	रविन्द्र कुमार शर्मा
16.	आयुक्तालय, आयोजना	राकेश बैरवा
17.	आयुक्तालय, आईटी शाखा	सौमिल फौजदार

Signature valid
Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.10.30 18:08:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18568383

18.	आयुक्तालय, निजी संस्था	मेघा सिरोहिया
19.	आयुक्तालय, रूसा	आयुषी शर्मा
20.	आयुक्तालय	सुधांशु मीना
21.	राजकीय महाविद्यालय, बस्सी, जयपुर	प्रिंस कुमार शर्मा
22.	राजकीय महाविद्यालय, बस्सी, जयपुर	सपना कुमार मीणा
23.	राजकीय महाविद्यालय, दूदू	मुकेश कुमार यादव
24.	राजकीय महाविद्यालय, दूदू	त्रिलोक जांगिड़
25.	राजकीय महाविद्यालय, दूदू	हर्षित पारीक
26.	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर	नेकीराम मावलिया
27.	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर	रितू खंगारोत
28.	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर	विजय सैनी
29.	राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़	मोहित कुमार बाडीवाल
30.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनपोल बाजार, जयपुर	शर्मेन्द्र कुमार चौधरी
31.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनपोल बाजार, जयपुर	भूपेन्द्र सिंह शेखावत
32.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनपोल बाजार, जयपुर	आरती शर्मा
33.	राजकीय महाविद्यालय, फागी	रामगोपाल गुर्जर
34.	राजकीय महाविद्यालय, फागी	पूर्णिमा गोठवाल
35.	राजकीय महाविद्यालय, सांभरलेक	मोहन लाल बोदल्या
36.	राजकीय महाविद्यालय, सांभरलेक	रजत परसोया
37.	राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर	सावित्री छीपा
38.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, शाहपुरा	रविन्द्र सिंह शेखावत
39.	राजकीय महाविद्यालय, सांगानेर	गौरव गिरिश जोशी
40.	राजकीय महाविद्यालय, सांगानेर	रेणु बाला

सभी नामित मंत्रालयिक कार्मिकों की सूचनार्थ लेख है कि –

1. **प्रतिभागीय सभी प्रशिक्षणार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है, जिसके लिये किसी भी प्रकार की कोई राशि प्रशिक्षणार्थियो से नहीं ली जानी है।**
2. इस प्रशिक्षण हेतु दिनांक **07 नवम्बर 2025** की सुबह से सायं काल तक के लिये प्रशिक्षण परिसर में ही निःशुल्क जलपान एवं भोजन व्यवस्था सभी आमंत्रित मंत्रालयिक कार्मिकों के लिये उपलब्ध करवाई जायेगी।
3. प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक रहेगा। यह प्रशिक्षण सभी मंत्रालयिक कार्मिकों की कार्यक्षमता, दक्षता संवर्द्धन, कार्यालयी कार्यों के सुव्यवस्थित प्रक्रिया, दायित्वों की स्पष्टता, व्यावहारिक तकनीकी दक्षता तथा राजकाज से संबंधित कार्यों में निपुणता हेतु है, अतः सभी मंत्रालयिक कार्मिक प्रशिक्षण समय के बारे में पूर्व सूचित रहें तथा इस अवधि में प्रशिक्षण में पूरे समय उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अपेक्षित नहीं है।

Signature valid
Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.10.30 18:08:34 IST
Reason: Approved

International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

4. नामित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरांत उपस्थिति प्रमाण प्रस्तुत करने पर प्रशिक्षण अवधि का कर्तव्य अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5. **यह प्रशिक्षण स्थल (बोध शिक्षा परिसर) जयपुर शहर से लगभग 25 किमी की दूरी पर जयपुर – दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कूकस औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित है।** इस तक पहुंचने के लिये ट्रांसपोर्ट नगर, अजमेरी गेट तथा बडी चौपड आदि स्थानों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध रहती है।

6. **जो मंत्रालयिक कार्मिक जयपुर से होकर जायेंगे, उनके लिये प्रशिक्षण स्थल तक जाने के लिये निःशुल्क परिवहन (बस) व्यवस्था करवाई गई है। यह बस शिक्षा संकुल स्थित आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के कार्यालय (ब्लॉक नम्बर 04) के बाहर प्रातः 8.00 बजे उपलब्ध होगी,** जो आगुन्तकों को लेकर प्रातः 8.15 बजे रवाना होगी। अतः जो भी सहभागीगण इस निःशुल्क सुविधा का लाभ लेना चाहें, उन्हें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा परिसर में दिनांक **07 नवम्बर 2025 की प्रातः 8.10 बजे तक पहुंचना होगा। जो कार्मिक जयपुर के बाहर से आयुक्तालय आकर निःशुल्क परिवहन से जाएंगे तो उन्हें जयपुर तक का यात्रा भत्ता पदस्थापित महाविद्यालय से देय होगा एवं आयुक्तालय में पदस्थापित कार्मिक यदि निःशुल्क परिवहन से जाते हैं तो उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**

7. जो प्रशिक्षणार्थी यदि प्रशिक्षण स्थल तक स्वयं के वाहन से जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मूल पदस्थापन महाविद्यालय से उन्हें यात्रा भत्ता के नियमानुसार पुनर्भरण की अनुमति प्रदान की जाती है। आयुक्तालय में पदस्थापित कार्मिक यदि स्वयं के वाहन से जाते हैं तो उन्हें आयुक्तालय से यात्रा भत्ता देय होगा।

8. सभी नामित प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचना अनिवार्य है।

इस संबंध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन एव सहायता के लिये निम्नलिखित अधिकारियों से उनके मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

1.	प्रो. श्रुति गुप्ता	संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ	9829772208
2.	प्रो. ललिता यादव	आचार्य, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ	8209852519

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीक शिक्षा राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित कार्मिकों प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त करें।
5. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।

डॉ. ओ. पी. बैरवा
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

Signature valid
Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.10.30 18:08:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18568383